आदेश

उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के अन्तर्गत अवस्थित राज्य "क" सीधी भर्ती नियमावली 2003 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार चयन समिति की संस्तुति एवं निदेशालय के पत्रांक 121-केस-सहायक/सं-स्थापना अनुभाग"क"विविध-2004 दिनांक 3-11-04 द्वारा अवगत कराई गयी कुर्की/निषेध के अन्तर्गत निम्न अभ्यर्थी को उनके नाम के सम्मुख अंकित पद/संख्या में वेतनमान 4500-7000 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	पद का नाम	संख्या का नाम
1-	श्री रविशंकर सिंह पुत्र श्री बलराम सिंह, निवास-11, स्टोर सी ए-162 कोटवा कॉलोनी, अलवर (राजस्थान) 826005	सहायक लेखाकार	राजकीय लेखाकोष, रोहतास
2-	श्री अजय सिंह पुत्र श्री कुन्दी लाल हाउस नं0-37, ब्लॉक 6/376 विन्ध्य वाशिष्ठ कॉलोनी, इलाहाबाद- 211002	कम्प्यूटर प्रोग्रामर/ आपरेटर	राजकीय लेखाकोष रोहतास

उपरोक्त सह नियुक्तियाँ पूर्णतया अस्थायी हैं तथा शासनादेश सं0 20-1-74-3 वि0 दिनांक 11 जून 1975 के अनुसार नियमित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की विज्ञप्ति की पद द्वारा एक माह की नोटिस पर समाप्त की जा सकती है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनके द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के प्रमाण-पत्रों के उचित सत्यापन के आधार पर किये जाने पर अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग जैसा कि प्रतीयमान है पर दर्शाया हुआ पाया जाता है तो उनकी नियुक्ति बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी एवं कुछ प्रमाण पत्र दिये जाने के आदेश में वास्तविक केन्द्र सीमा के अभ्यर्थी के अन्तर्गत आने की कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जायेगी।

नियुक्त अभ्यर्थी को पदभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

1-योग्यता सम्बन्धी सभी प्रमाणपत्रों की सत्यापित छायाप्रतियाँ।
2-दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाणपत्र जो उनके सम्पर्क में हों।
3-मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
4-पत्नी/पति के जीवित होने का प्रमाण-पत्र।
5-शासकीय सेवकों के पूर्व नियोजन रहने का प्रमाण पत्र।

नियुक्त अभ्यर्थी दिनांक 29-11-04 को नियुक्त पद पर पदभार ग्रहण कर चुके हैं। निर्धारित तिथि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगे। तत्पश्चात् प्रमाणपत्र अभ्यर्थी के पदभार ग्रहण की सूचना के साथ-साथ अपरोक्त प्रमाणपत्रों की प्रतियाँ निदेशालय/क्षेत्रीय कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

पदभार ग्रहण करने हेतु नियुक्त अभ्यर्थी को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(पी0एन0 सिंह)
क्षेत्रीय निदेशक

क्षेत्रीय कार्यालय कुर्सी रोड, लखनऊ।

संख्या 1982-86 /सं0नि0प्र0-स्था0/विविध-सहायक/04 दिनांक 9-11-04

आदेश की प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

आदेश

संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण के पत्र [illegible] के आदेश [illegible] संख्या [illegible] दिनांक 03-11-04 के आदेश की [illegible] के नियुक्ति का संस्था में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर की गयी थी किसी अनुकाल [illegible] की गिर का संस्था में दिनांक 17-11-04 को पद भार ग्रहण कर लिया है।

अतः संस्था के श्री आदित्य तिवारी कनिष्ठ लिपिक संस्थान को आहरित किया जाता है। कि वह पुस्तकालयाध्यक्ष की उपस्थिति वाले सभी कार्य लिपि की [illegible] कार्य कुशलता [illegible] उपयोगकर्ताओं के लाभ प्रदान करें। उक्त कार्य की विशेष सहायता व्याख्याता औद्योगिक संस्थान की देख रेख में सम्पन्न होगा।

प्राचार्य
PRINCIPAL
GOVT. POLYTECHNIC
RAISEN

कार्यालय प्रमुखाचार्य राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय रायसेन

पृ०आदेश क्रं 813-16 /स्था० /दिनांक 25/11/04

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1:- श्री विशेष सहायता व्याख्याता औद्योगिक संस्थान।

2:- श्री राकेश सिंह पुस्तकालयाध्यक्ष संस्थान को अनुपालनार्थ।

3:- श्री आदित्य तिवारी कनिष्ठ लिपिक-क्रं संस्थान को अनुपालनार्थ।

4:- स्टोर क्रीपर संस्थान।

प्राचार्य
PRINCIPAL
GOVT. POLYTECHNIC
RAISEN
25/11/04